LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

12 April 2018

PRESS RELEASE

Summary of the proceedings of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly:

The House held sixteen sittings during Seventh Session (Budget Session) of the Sixth Assembly. This session commenced on 16 March 2018 and was adjourned *sine die* on 10.04.2018.

During these sixteen sittings the House conducted business for 58 hours against the scheduled 54 hours.

Initially the session was convened till 28th March 2018 but due to the request of the Government and the Members, the session had to be extended. As a result the House conducted its business for 16 days instead of the scheduled 9 sittings.

Hon'ble Lieutenant Governor's Address: The Hon'ble Lieutenant Governor addressed the House on 16 March 2018. Hon'ble Minister Shri Satyendra Jain moved the Motion of Thanks on 16.03.2018 which was adopted by the House on 20 March 2018. Thirteen Members participated in the debate, and the Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the debate.

Outcome Budget: The Hon'ble Deputy Chief Minister presented the first ever outcome budget on 21.04.2018 outlining the performance and targets of various departments as compared to the actual achievements in physical terms.

Annual Budget (2018-19): The Hon'ble Deputy Chief Minister presented the Annual Budget for the year 2018-2019 on 22 March 2016. The Budget was termed as the 'Green Budget' on account of the importance given to environment friendly initiatives of various departments to ensure pollution-free Delhi. The discussion on the budget was held on 26th and 27th March 2018. Fourteen Members participated in the discussion. The Hon'ble Chief Minister also expressed his views on the budget. The budget was passed on 27th March 2018.

Questions: A total of 667 notices of questions were received for this session for Question Hour scheduled for eight days. Out of these 160 notices of starred questions and 461 notices of unstarred questions were admitted.

69 starred questions and 138 supplementary questions were asked and replied to in the House.

On the directions of the Office of the Hon'ble Lieutenant Governor, replies to 36 Questions (11 Starred and 25 Unstarred) were not provided by some Departments on the pretext of them being 'reserved' subjects. These have been referred to the Questions and Reference Committee and the Committee of Privileges.

Special Mention (Under Rule 280): 286 notices for Special Mention were received for this session. 147 matters were raised in this session under Rule 280. The departments have been directed to reply to the matters raised by the Hon'ble Members within 30 days.

Calling Attention Motion (Under Rule 54): On 20 March 2018, Sh. Raju Dhingan called the attention of the Minister of Urban Development regarding 'Dumping of garbage by NOIDA authority in Gazipur Land filling.' Ch. Fateh Singh also expressed his views and Sh. Satyendra Jain made a brief statement on the issue

On 21 March 2018, Sh. Pankaj Pushkar called the attention of Hon'ble Dy. Chief Minister regarding 'alleged leak of question papers and mismanagement of Staff Selection Commission and harassment faced by the students of Jawaharlal Nehru University, Delhi'. He also moved a resolution in this

regard. Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition and Sh. Saurabh Bharadwaj also expressed their views. A Resolution was also moved by Sh. Saurabh Bharadwaj. Hon'ble Dy. Chied Minister made a brief statement. The Resolutions moved by Sh. Pankaj Pushkar and Sh. Saurabh Bharadwaj were adopted by voice-vote.

On 23 March 2018, Sh. Pankaj Pushkar, Sh. Prakash Jarwal, Sh. Manoj Kumar, Sh. Amanatullah Khan and Sh. Vijender Gupta called the attention of Hon'ble Minister of Food & Supply towards 'the delay in implementation of doorstep delivery of ration'. Sh. Imran Hussain, Hon'ble Minister of Food & Supply replied to the discussion.

On 26 March 2018, Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition called the attention regarding 'measures adopted by the private schools of Delhi to increase their pass percentage in Board Exams and the mental pressure suffered by the Students'. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister made a brief statement.

On 27 March 2018, Ms. Alka Lamba called the attention towards 'security of women and demanded that stalking be made a non bailable offence and necessary legislation be introduced by the Government'. Smt. Bandana Kumari and Sh. Somnath Bharti expressed their views and Sh. Satyendra Jain, Minister of Home made a brief statement on the issue. A Resolution moved in this regard by Sh. Saurabh Bhardwaj was adopted by voice vote.

On 2 April 2018, Ms. Rakhi Birla called the attention towards 'situation arising out of the decision of Hon'ble Supreme Court of India regarding Scheduled Caste & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989'. Nine Members participated in the discussion and Sh. Rajendra Pal Gautam, Hon'ble minister of Social Welfare replied to it.

On 2 April 2018, Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Dy. Speaker called the attention towards 'hardships being faced by the 'Safai Karamcharis' of MCDs due to non-regularization of their services and lack of other basic amenities.' Eight Members took part in the discussion. On 3 April 2018, Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion and the Resolution moved by Ms. Rakhi Birla was adopted by voice-vote.

On 6 April 2018, Sh. Avtar Singh Kalkaji called the attention towards 'proposed move of South Delhi Municipal Corporation to handover Purnima Sethi Super Speciality Hospital to private entities.' Sh. Vijender Gupta also expressed his views.

Short Duration Discussions: On 16 March 2018, Sh. Saurabh Bharadwaj initiated short duration discussion on 'suffering caused to people of Delhi due to sealing of premises and Police brutality during the Sealing processes.' 18 Members including Hon'ble Deputy Speaker, Hon'ble Minister of Social Welfare, Hon'ble Minister of Labour, and Hon'ble Leader of Opposition participated in the discussion. Hon'ble Chief Minister replied to the discussion and a Resolution moved by Sh. Saurabh Bharadwaj in this regard was adopted by the House with voice vote.

On 23 March 2018, Sh. Saurabh Bharadwaj initiated discussion on 'severe water scarcity caused due to alarming level of ammonia in water released by Haryana'. Seven Members participated in the discussion and Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Health replied to the discussion.

On 2 April 2018, Sh. Saurabh Bharadwaj initiated discussion on the situation arising out of "Officers of GNCT especially those belonging to IAS/DANICS cadre not attending meetings/phone calls/messages related to public works and official matters of MLAs". Seven Members participated in the discussion and a Resolution, moved by Sh. Saurabh Bharadwaj, was adopted by voice vote.

On 9 April 2018, Sh. Saurabh Bharadwaj initiated discussion on 'Utilization of MLALAD fund in MCD Parks'. Eight Members participated in the discussion and Principal Secretary (UD) and the Commissioners of EDMC, NDMC and SDMC were directed to be present in the House on 10 April 2018. Nineteen more members participated in the discussion on 10 April, 2018 and Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Urban Development replied to the discussion and Sh. Saurabh Bharadwaj moved a Resolution which was adopted by voice-vote.

On 3 April 2018, Sh. Gulab Singh initiated discussion on the situation arising out of 'the difficulties being faced in disbursal of various pension schemes of Social Welfare and Women & Child Departments of GNCT of Delhi'. Thirteen Members participated in the discussion. Hon'ble Dy. Chief Minister made a statement and Hon'ble Minister of Social Welfare replied to the discussion.

Motion: A Congratulatory Motion was moved by Ms. Rakhi Birla to thank the Govt. of NCT of Delhi for reducing the electricity tariff. Five members took part in the discussion and Hon'ble Minister of Power replied to the discussion.

Resolution:

Government Resolution under Rule 90 regarding 'Restructuring of DASS and Steno Cadre' was moved by Sh. Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare on 26 March 2018 and was adopted by voice-vote.

On 23.03.2018 the Private Members Resolutions of Shri Vijender Gupta on 'labour issues' and Shri Jagdish Pradhan on 'Fifth Finance Commission' were discussed but not adopted. Besides the above 'sense of the House' Resolutions on the following issues were adopted by the House:

- 1. On 16 March 2018, Resolution regarding 'suffering caused to people of Delhi due to sealing of premises and police brutality during the Sealing processes' moved by Sh. Saurabh Bharadwaj was adopted by voice-vote.
- 2. On 21 March 2018, Resolution regarding 'alleged leak of question papers and mismanagement of Staff Selection Commission and harassment faced by the students of Jawaharlal University, Delhi' moved by Sh. Pankaj Pushkar was adopted by voice –vote.
- 3. On 21 March 2018, Resolution moved by Sh. Saurabh Bharadwaj regarding 'Complaints of sexual harassment and molestation against JNU Professor Mr. Atul Johri' was also adopted by voice-vote.
- 4. On 26 March 2018, the Resolution moved by Sh. Saurabh Bharadwaj was adopted by voice-vote regarding 'status report of Hon'ble Lieutenant Governor's office on the lines of outcome budget.
- 5. On 27 March 2018, Resolution moved by Sh. Saurabh Bharadwaj regarding 'legislation on security of women' was adopted by the House.
- 6. On 2 April 2018, Resolution moved by Sh. Saurabh Bharadwaj was also adopted by the House regarding 'protocol norms regarding official dealings with MLAs'.
- 7. On 4 April 2018, the Resolution moved by Ms. Rakhi Birla regarding 'hardships being faced by the 'Safai Karamcharis' of MCDs due to non-regularization of their services and lack of other basic amenities' was adopted in the House.
- 8. On 10 April 2018, Sh. Saurabh Bharadwaj moved the Resolution 'to formulate strict guidelines for the execution of works under MLALAD funds 'which was adopted in the House by voice-vote.

Committee Reports: Second Report of Business Advisory Committee and Third Report of Committee on Private Members Bills & Resolutions were adopted by the House on 19 March 2018.

Constitution of Committees: In its sitting held on 02 April 2018, the House constituted the 'House Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour by Government Officers with MLAs'.

On 6 April 2018, the House constituted 'the committee to take up the matter of 'Salaries & Allowances of Ministers/MLAs' with the Ministry of Home Affairs, Govt. of India.'

Papers laid: Ninety Five papers were laid on the table of the House during the Session including Economic Survey of Delhi for 2017-18, Annual Report of Delhi Commission for Protection of Child Rights for 2016-17, Status Report of Outcome Budget 2017-18 and 3 Reports of Comptroller & Auditor General of India for the year ended 31 March 2017.

Legislation: 'The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2018' (Bill No.2 of 2018) and 'The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2018' (Bill No. 3 of 2018) were passed during the Session.

Election to Financial Committees: 13 Nominations each were received for the three financial committees i.e. Committee on Government Undertakings, Public Accounts Committee and the Estimates Committee for the year 2018-2019. After withdrawal of 12 nominations, the remaining 9 Members each for the three Committees, who had filed the nominations were elected unopposed.

Obituary References: The House paid homage to the following:

- 1. The killing of 9 CRPF soldiers in the Naxalite attack in Sukma, Chhattisgarh on 13 March, 2018 and Army soldiers in Jammu & Kashmir.
- 2. Thirty Nine Indians killed by ISIS in Mosul, Iraq.
- 3. Five security personnel who were killed in an encounter with militants in Kupwara, Jammu & Kashmir on 21 March, 2018.
- 4. Freedom fighters Shaheed Bhagat Singh, Shaheed Sukhdev and Shaheed Rajguru on the occasion of Shaheedi Diwas
- 5. Three Army personnel and four civilians killed in encounter with terrorists in Shopian & Anantnag in Jammu & Kashmir on 01 April 2018.
- 6. Tributes on 05 April 2018 on the occasion of Birth Anniversary of Ninth Sikh Guru, Guru Teg Bahadur and to Late Sh. Babu Jagjivan Ram, former Union Minister and freedom fighter on his Birth Anniversary.
- 7. Sad demise of thirty persons including twenty Seven School children in road accident on 09 April 2018 at Noorpur, Kangda, Himachal Pradesh.
- 8. Death of Four labourers in Sultanpuri and one person in Chandni Chowk in fire incidents on 09 April, 2018.

* * * * :

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

12 अप्रैल. 2018

प्रेस विज्ञप्ति

छठी विधान सभा के सातवें सत्र की कार्यवाही का सारांश

छठी विधान सभा के सातवें सत्र (बजट सत्र) के दौरान सदन की 16 बैठकें हुईं। इस सत्र का प्रारंभ दिनांक 16 मार्च 2018 को हुआ था और इसे अनिश्चित काल के लिए दिनांक 10.4.2018 को स्थिगत किया गया।

इन सोलह बैठकों के दौरान सदन की कार्यवाही निर्धारित 54 घंटे की बजाय 58 घंटे तक चली।

प्रारंभ में यह सत्र 28 मार्च, 2018 तक के लिए आहूत किया गया था किंतु सरकार तथा सदस्यों के अनुरोध पर सत्र को बढ़ाना पड़ा। परिणामतः सदन की कार्यवाही निर्धारित 9 बैठकों की बजाय 16 बैठकों तक चली।

माननीय उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण : माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिनांक 16 मार्च, 2018 को सदन में अभिभाषण दिया। दिनांक 16.03.2018 को माननीय मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा जिसे सदन द्वारा दिनांक 20 मार्च को स्वीकार कर लिया गया। बहस में 13 सदस्यों ने भाग लिया तथा माननीय उप मुख्यमंत्री ने बहस का जवाब दिया।

आउटकम बजट: माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिनांक 21.04.2018 को अब तक का पहला आउटकम बजट प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न विभागों के कार्य—निष्पादन व लक्ष्यों की तुलना में भौतिक रूप में उनकी वास्तविक उपलब्धियों को उल्लिखित किया गया।

वार्षिक बजट (2018—19): माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिनांक 22 मार्च 2016 को वर्ष 2018—19 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कदमों को महत्व दिए जाने के कारण इस बजट को 'हरित बजट' कहा गया। बजट पर चर्चा 26 व 27 मार्च, 2018 को हुई। चर्चा में 14 सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने भी बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। बजट को दिनांक 27 मार्च, 2018 को पारित किया गया।

प्रश्न : आठ दिनों के लिए नियत प्रश्नकाल हेतु इस सत्र में प्रश्नों की 667 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 160 सूचनाएं तारांकित प्रश्नों के लिए और 461 सूचनाएं अतारांकित प्रश्नों के लिए स्वीकार की गईं। सदन में 69 तारांकित प्रश्न तथा 138 अतारांकित प्रश्न पूछे गए व उनका उत्तर दिया गया।

माननीय उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय के निर्देश पर विभिन्न विभागों द्वारा 36 प्रश्नों (11 तारांकित और 25 अतारांकित) के उत्तर उनके 'आरक्षित विषय' होने के आधार पर नहीं दिए गए। इन्हें प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है।

विषेष उल्लेख (नियम—280 के अंतर्गत) : इस सत्र के लिए विशेष उल्लेख हेतु 286 नोटिस प्राप्त हुए। इस सत्र में नियम—280 के अंतर्गत 147 मामले उठाए गए। विभागों को यह निर्देश दिया गया कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर 30 दिन के अंदर उत्तर दें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम 54 के अंतर्गत): दिनांक 20 मार्च 2018 को श्री राजू धिंगान ने नौयडा प्राधिकारियों द्वारा गाजीपुर लैंडफिल में कचरा डाले जाने के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया। चौधरी फतेह सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए और श्री सत्येंद्र जैन ने इस विषय पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

दिनांक 21 मार्च 2018 को श्री पंकज पुष्कर ने कथित रूप से 'प्रश्नपत्रों के लीक होने तथा स्टाफ सलेक्शन कमीशन के कुप्रबंधन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के विद्यार्थियों के उत्पीड़न' की ओर माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता और श्री सौरभ भारद्वाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। श्री पंकज पुष्कर तथा श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया।

दिनांक 23 मार्च 2018 को श्री पंकज पुष्कर, श्री प्रकाश जारवाल, श्री मनोज कुमार, श्री अमानतुल्लाह खान और श्री विजेंद्र गुप्ता द्वारा 'घर की देहलीज़ पर राशन वितरण योजना के क्रियान्वयन में विलंब' की ओर माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया। माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री इमरान हुसैन ने चर्चा का उत्तर दिया।

दिनांक 26 मार्च 2018 को नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने 'प्राइवेट स्कूलों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के उत्तीर्ण—प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों और विद्यार्थियों को होने वाले मानसिक तनाव' की ओर ध्यान आकृष्ट किया। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया ने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

दिनांक 27 मार्च 2018 को सुश्री अलका लांबा ने 'महिलाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा मांग की कि पीछा किए जाने को गैर जमानती अपराध बनाया जाए और सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कानून बनाया जाए।' श्रीमती बंदना कुमारी और श्री सोमनाथ भारती ने अपने विचार व्यक्त किए और गृह मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने इस विषय पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। इस संदर्भ में श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

दिनांक 2 अप्रैल 2018 को श्री सुश्री राखी बिरला ने 'अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया। नौ सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने इसका उत्तर दिया।

दिनांक 2 अप्रैल 2018 को माननीय उपाध्यक्ष सुश्री राखी बिरला ने 'सेवाओं के नियमित न किए जाने व अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों की' ओर ध्यान आकृष्ट किया। चर्चा में आठ सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 3 अप्रैल 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने चर्चा का उत्तर दिया और सुश्री राखी बिरला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया।

दिनांक 6 अप्रैल 2018 को श्री अवतार सिंह कालकाजी ने 'दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेश्यिलटी हॉस्पिटल को निजी संस्था को सौंपने' के प्रस्तावित कदम की ओर ध्यान आकृष्ट किया। श्री विजेंद्र गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अल्पकालिक चर्चा : दिनांक 16 मार्च 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज ने 'दिल्ली की जनता को सीलिंग और सीलिंग प्रक्रिया के दौरान पुलिस की क्रूरता के कारण होने वाली किंदिनाइयों' पर एक अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ की। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय समाज कल्याण मंत्री, माननीय श्रम मंत्री तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष सिहत कुल 18 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा इस संदर्भ में प्रस्तुत एक प्रस्ताव को सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकार किया गया।

दिनांक 23 मार्च 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज ने 'हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले पानी में अमोनिया के खतरनाक स्तर के कारण होने वाले वाले गंभीर जल—संकट' पर एक चर्चा प्रारंभ की। सात सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने चर्चा का उत्तर दिया।

दिनांक 2 अप्रैल 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज ने 'रा.रा.क्षे.सरकार के अधिकारियों, विशेषकर आईएएस / दानिक्स कैंडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों से तथा विधायकों के सरकारी कार्यों से संबंधित बैठकों में भाग न लेने, फोनकॉल न उठाने और संदेशों पर ध्यान न देने' से उत्पन्न स्थिति पर एक चर्चा प्रारंभ की। सात सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

दिनांक 9 अप्रैल 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज ने 'एमसीडी के पार्कों में एमएलए लैड फंड के उपयोग' पर चर्चा प्रारंभ की। इस चर्चा में आठ सदस्यों ने भाग लिया और प्रधान सचिव (शहरी विकास), तथा ईडीएमसी, एनडीएमसी व एसडीएमसी के आयुक्तों को दिनांक 10 अप्रैल 2018 को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। 10 अप्रैल 2018 को 19 अन्य सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने चर्चा का उत्तर दिया और श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया।

दिनांक 3 अप्रैल 2018 को श्री गुलाब सिंह ने 'रा.रा.क्षे.दि. सरकार द्वारा समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विभागों द्वारा विभिन्न पैंशन योजनाओं के आबंटन में होने वाली कठिनाइयों' पर एक चर्चा प्रारंभ की। 13 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य दिया और माननीय समाज कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव: सुश्री राखी बिरला द्वारा बिजली की दरों में कमी करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा में पांच सदस्यों ने भाग लिया और माननीय ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प:

माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा 'दास एवं स्टेनो कैंडर के पुनर्गठन' के संबंध में नियम—90 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया।

23 मार्च 2018 को श्री विजेन्द्र गुप्ता के 'श्रम मुद्दों' और श्री जगदीश प्रधान के 'पांचवें वित आयोग' से संबंधित गैर—सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई परंतु स्वीकृत नहीं हुए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर 'सेंस ऑफ द हाउस' संकल्प सदन में स्वीकार किए गए:

- 1. दिनांक 16 मार्च 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा "सीलिंग प्रक्रिया के दौरान परिसरों की सीलिंग और पुलिस की क्रूरता के कारण दिल्ली के लोगों को हुई पीड़ा" पर प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।
- 2. दिनांक 21 मार्च 2018 को श्री पंकज पुष्कर द्वारा ''कथित रूप से प्रश्न पत्रों के लीक होने तथा कर्मचारी चयन आयोग के कुप्रबंधन और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करने'' पर प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।
- 3. दिनांक 21 मार्च 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा ''जे.एन.यू के प्रोफेसर श्री अतुल जौहरी के विरूद्ध यौन उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ की शिकायतों'' पर प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।
- 4. दिनांक 26 मार्च 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत संकल्प ''आउटकम बजट की तरह माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय की स्टेटस रिपोर्ट'' सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ।
- 5. दिनांक 27 मार्च 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा "महिला सुरक्षा पर कानून" पर प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।
- 6. दिनांक 2 अप्रैल 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा "विधायकों के साथ आधिकारिक व्यवहार में प्रोटोकोल मानदंड" पर प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ।
- 7. दिनांक 4 अप्रैल 2018 को सुश्री राखी बिडला द्वारा ''दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उनको हो रही किटनाईयों' पर प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ।
- 8. दिनांक 10 अप्रैल 2018 को श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा पर प्रस्तुत संकल्प 'विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत कार्य कराने के विषय में सख्त दिशा निर्देश बनाने' सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ।

समिति प्रतिवेदन : कार्य मंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन तथा निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प समिति का तृतीय प्रतिवेदन दिनांक 19 मार्च 2018 को सदन द्वारा स्वीकार किए गए।

सिमितियों का गठन : सदन ने दिनांक 19 मार्च 2018 की अपनी बैठक में 'सरकारी अधिकारियों द्वारा विधायकों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार तथा प्रोटोकोल नियमों के उल्लंघन पर सदन की सिमिति' का गठन किया।

दिनांक 6 अप्रैल 2018 को 'मंत्रियों / विधायकों के वेतन तथा भत्तों पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मामला उठाने हेतु समिति' का गठन किया गया।

पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज : 'इकॉनोमिक सर्वे ऑफ दिल्ली फॉर 2017—18', 'दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स फॉर 2016—17' की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2017—18 के आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंट्रोलर एंड ऑडीटर जनरल ऑफ इंडिया की तीन रिपोर्टों सहित कुल 95 दस्तावेज इस सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे गए।

विधि निर्माण : 'दि दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर 1) बिल, 2018' (बिल नंबर 2 ऑफ 2018) तथा 'दि दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर 2)बिल, 2018' (बिल नंबर 3 ऑफ 2018) को इस सत्र के दौरान पारित किया गया।

वित्तीय सिमितियों के लिए चुनाव : वर्ष 2018—2019 हेतु तीन वित्तीय सिमितियों अर्थात कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी तथा एस्टीमेट कमेटी में से प्रत्येक के लिए 13 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें से 12 नामांकन वापस ले लिए जाने के बाद तीनों सिमितियों में से प्रत्येक के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 9 सदस्य शेष रहे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए।

शोक संदेश: सदन ने निम्नलिखित को श्रद्धांजलि दी:

- 1. दिनांक 13 मार्च 2018 को सुकमा, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 9 जवानों तथा जम्मू और कश्मीर में मारे जाने वाले सेना के जवान को।
- 2. मोसुल, ईराक में आईएसआईएस द्वारा मारे गए 39 भारतीयों को।
- 3. दिनांक 21 मार्च 2018 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षा बलों के पांच जवानों को।
- 4. शहीदी दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव तथा शहीद राजगुरु को।
- 5. दिनांक 1 अप्रैल 2018 को जम्मू और कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में मारे गए सेना के तीन जवानों तथा चार नागरिकों को।
- 6. दिनांक 5 अप्रैल 2018 को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग़बहादुर को उनके जन्मदिन के अवसर पर तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम को उनके जन्मदिन के अवसर पर।
- 7. दिनांक 9 अप्रैल 2018 को हिमाचल प्रदेश के नूरपुर, कांगड़ा में हुई दुखद सड़क दुर्घटना में 27 स्कूली बच्चों सिहत मारे गए 30 व्यक्तियों को।
- 8. दिनांक 9 अप्रैल 2018 को आग लगने की घटनाओं में सुल्तानपुरी में मारे गए चार श्रमिकों और चांदनी चौक में मारे गए एक व्यक्ति को।
